पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

निगरानी 1174-PBR-15 1216/14.5.2015

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय,
राजस्व बोर्ड ग्वालियर म.प्र.

प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 14/05/2015 को प्रस्तुत

रमेश पिता चुन्नीलाल राठोर (राठौड)
उम्र 63 वर्ष धन्धा खेती
निवासी ग्राम जामली तह. पेटलावद

.... रिविजनकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा प्राचार्य,
शासकीय हाई स्कुल ग्राम जामली
तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

.... प्रत्यर्थी/अनावेदक

रिविजन याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भु.रा.संहिता

माननीय महोदय,

याचिकाकर्ता (प्रार्थी) रमेश की और से यह रिविजन याचिका न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा उनके अपील प्रकरण क्रमांक 229/अपील/2006–07 मे पारित आदेश दिनांक 31/10/2013 जिसकी की प्रथम बार जानकारी रिविजनकर्ता को दिनांक 18/04/2015 को कार्यालय ग्राम पंचायत जामली जनपद पंचायत पेटलावद जिला झाबुआ द्वारा रिविजनकर्ता रमेशचन्द्र को ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा दिये गये सुचना पत्र के माध्यम से व उसमे किये गये उल्लेख पर से ज्ञात हुआ कि रिविजनकर्ता द्वारा जो अपील श्रीमान अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के यहा प्रकरण क्रमांक 229 वाली पेश की गई थी उसमे दिनांक 31/10/2013 को कोई आदेश पारित होकर विद्यालय के पक्ष मे फैसला दिया गया है। जिस बाबद की छायाप्रति भी पंचायत ने दी।

1. यह कि, उक्त अपील आदेश दिनांक 31/10/2013 के द्वारा रिविजनकर्ता की अपील अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा निरस्त कर देने से उससे व्यथित होकर व असंतुष्ट होकर यह रिविज़न म.प्र.भु.रा.संहिता के प्रावधानो के तहत रिविजनकर्ता के द्वारा श्रीमान के यहा पेश करना भाग हुआ है।

।। रिविजन प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ।।

1. यह कि, रिविजनकर्ता रमेशचन्द्र एक ग्रामीण कृषक व्यक्ति है और कृषि पर ही उसका जीवन निर्भर है। यह कि रिविजनकर्ता के बडे भाई का नाम गंगाराम होकर तथा उसकी माता का नाम सुरजबाई था और पुर्व मे यह भूमि तीनो के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज थी।

2. यह कि, ग्राम जामली पटवारी हल्का नम्बर 25 तहसील पेटलावद जिला झाबुआ मे स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 520 रकबा 0.503, सर्वे नम्बर 523 रकबा 0.551, सर्वे नम्बर 525 रकबा 0.785, सर्वे नम्बर 527 रकबा 0.388, सर्वे नम्बर 535 रकबा 1.845, सर्वे नम्बर 540 रकबा 0.647, सर्वे नम्बर 697 रकबा 0.016 कुल भुमि 4.735 की भूमिया भू–अभिलेख मे बंदोबस्त के पूर्व थी तथा बंदोबस्त ... पाठशाला की भूमि सर्वे

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R 1174–PBR/15 जिला झाबुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–6–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31–10–2003 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 19–5–2015 को 1½ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण आवेदक के ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं होना एवं इन्दौर मुख्यालय से काफी दूर रहने के कारण आदेश की जानकारी नहीं होना दर्शाया गया है । यह कारण भी दर्शाया गया है कि आवेदक का उसके वकील से सम्पर्क नहीं हो सका । आवेदक की ओर से दर्शाया गया उपरोक्त कारण समाधानकारक नहीं है, क्योंकि आवेदक का यह दायित्व था कि वे अपर आयुक्त के समक्ष प्रचलित अपील के सम्बन्ध में अपने अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करते । इतनी लम्बी अवधि तक आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं करना लापरवाही का द्योतक है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	